पत्रांक-6/त्र7-01/2003 - 3112 /

झारखण्ड-सरकार

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखंड, राँची ।

सेवा में,

सचिव,
सी०बी०एस०ई०नई दिल्ली ।

राँची, दिनाक - 17-12-2004

विषय:- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित ब्लू बेल्स स्कूल, कास्टर टाउन, देवघर को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धेजों के अधीन दो ~~वर्ष~~ वर्ष के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है:-।

1. विद्यालय के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को दो वर्षों के अन्दर प्रशिक्षित करा लिया जायेगा ।

2. विद्यालय में वर्तमान निर्मित हॉल को निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप 60×60 वर्गफीट क्षेत्रफल आकार का एक वर्ष के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा ।

3. विद्यालय में कर्मचारी प्रबंधन द्वारा दण्डित शिक्षक/ शिक्षिका जिला शिक्षा पदाधिकारी/क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक एवं न्यायालय में अपील कर सकेंगे तथा इनका निर्णय विद्यालय प्रबन्धन के लिये मान्य होगा ।

4. झारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी नियम/ परिनियम विद्यालय के लिये बनाये जायेंगे उनका पालन न करना विद्यालय के लिये बन्धनकारी होगा ।

5. मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रयोगशाला उपकरणों एवं पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की सूची के अनुरूप छः माह के अन्दर विद्यालय द्वारा क्रमशः उपकरण एवं पुस्तक पूरा कर लिया जायेगा ।

उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धेजों के अतिरिक्त विभागीय आदेश संख्या 1055 दिनांक-5.9.2001 के आलोक में निम्नांकित शर्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

1. विद्यालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा । विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को

क्र०पृ०30

Blue Bells Charitable Trust
BLUE BELLS CHARITABLE TRUST
DIRECTOR

Principal

Blue Bells Charitable Trust
Arati Basu
Secretary

Arati Basu
SECRETARY
School Managing Committee
The Blue Bells School, Deoghar

DIRECTOR
School Managing Committee
The Blue Bells School, Deoghar

THE BLUE BELLS SCHOOL
Principal

BLUE BELLS SCHOOL
Secretary

कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2(दो) एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4(चार) एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30(तीस) वर्षों के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा

4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये ।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।

6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।

7. विद्यालय का कार्यकलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये । विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विद्यालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी

10. विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली ॠ के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक-5. 9. 2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

13. उपर्युक्त शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।

15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के संबंधित पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

क्र०पृ०उ०

3112
17/12/2004

BLUE BELLS CHARITABLE TRUST
DIRECTOR

Blue Bells Charitable Trust
Arati Basu
Secretary

SECRETARY
School Managing Committee
The Blue Bells School

DIRECTOR
School Managing Committee
The Blue Bells School

THE BLUE BELLS SCHOOL
Principal

Blue Bells Charitable Trust

Principal

BLUE BELLS SCHOOL
Ram Kumar
Secretary

3

-3-

16. एतद् विधेयक किसी प्रकार से [illegible] मामलों का निपटारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के [illegible]धिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्पादन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-[illegible] के साथ साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक 3112 / राँची, दिनांक 17-12-2004

प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/ संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक 3112 / राँची, दिनांक 17-12-2004

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखण्ड,
राँची ।

BLUE BELLS CHARITABLE TRUST
DIRECTOR

Blue Bells Charitable Trust
Principal

Blue Bells Charitable Trust
Secretary

SECRETARY
School Managing Committee
The Blue Bells School Deoghar

DIRECTOR
School Managing Committee

THE BLUE BELLS SCHOOL
Principal

BLUE BELLS SCHOOL
Secretary